आवश्यक सूचनाः-

विज्ञापन संख्या-05/2017 के तहत आयोजित **“झारखण्ड संयुक्त पुलिस अवर निरीक्षक प्रतियोगिता परीक्षा-2017”** के आधार पर झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची के पत्र संख्या-04/परीक्षा-12-22/2017 आ0 (खण्ड-**VIII**) 2985, दिनांक-05.07.2018 के द्वारा अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु की गई अनुशंसित सूची (प्रति संलग्न) के आलोक में झारखण्ड पुलिस बल के तहत **प्रारक्ष अवर निरीक्षक (परिचारी)/ पुलिस अवर निरीक्षक /पुलिस अवर निरीक्षक (विशेष शाखा) के रिक्त पद पर वेतनमान पी0बी0-II 9300-34800-ग्रेड पे-4200 – सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-06/01 रू0-35,400/-** में एवं राज्य सरकार द्वारा अन्य अनुमान्य भत्तों के साथ योगदान की तिथि से निम्नांकित शर्तों के अधीन परीक्ष्यमान रुप से नियुक्ति आदेश पुलिस उप-महानिरीक्षक(कार्मिक) झारखण्ड, राँची द्वारा निर्गत करते हुए निंबधित डाक के माध्यम से भेजी जा रही है।

1- आपकी नियुक्ति यथा निर्धारित प्रशिक्षण केन्द्र में योगदान की तिथि से प्रभावी होगी एवं योगदान की तिथि से ही आप दो वर्षों के लिए परिवीक्ष्यमान रहेंगे।

2- परिवीक्ष्यमान अवधि पूर्ण करने एवं सेवा सम्पुष्ट होने तक यह नियुक्ति पूर्ण रुप से अस्थायी है तथा आपके विरुद्ध किसी प्रकार का कदाचार / अनियमितता / प्रतिकूल आचरण पाये जाने पर बिना किसी सूचना अथवा कारण बताये आपकी सेवा समाप्त कर दी जायेगी।

3- नियुक्ति के उपरान्त बुनियादी प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष की होगी, जिसे बढ़ाया या घटाया जा सकता है। बुनियादी प्रशिक्षणचर्या सफलतापूर्वक पूर्ण करने के उपरान्त आप 01 वर्ष तक व्यवहारिक प्रशिक्षण के तहत परिवीक्ष्यमान अवधि में रहेंगे। परिवीक्ष्यमान अवधि संतोषजनक पूर्ण करने एवं अन्य निर्धारित अर्हताओं को पूर्ण करने के उपरान्त आपकी सेवा क्षेत्रीय पुलिस उप-महानिरीक्षक द्वारा सम्पुष्ट की जाएगी। परिवीक्ष्यमान अवधि के दौरान यदि आपकी सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाती है तो इसे और एक वर्ष तक के लिए विस्तारित की जा सकती है। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषप्रद नहीं रहने पर आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

4- नियुक्ति के उपरांत महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची / पुलिस महानिरीक्षक (प्रशिक्षण), झारखण्ड, राँची द्वारा यथा निर्धारित बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त किया जाना एवं इसमें उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। अन्यथा सेवा में संपुष्टि तथा वार्षिक वेतन वृद्धि के पात्र नहीं होंगे।

5- प्रशिक्षण या परिवीक्ष्यमान अवधि के दौरान यदि आप सेवा का त्याग करते हैं, तो आपको प्रशिक्षण का पूर्ण खर्च का भुगतान करना होगा।

6- सामान्य स्थिति में आपकी सेवा मात्र झारखण्ड राज्यान्तर्गत ही ली जाएगी। किन्तु विशेष / भिन्न परिस्थिति में आपको राज्य के बाहर भी प्रतिनियुक्त / पदस्थापित किया जा सकता है।

7- यदि आप किसी सरकारी विभाग / कार्यालय अथवा लोक उपक्रम में सेवारत हैं तो अपने नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र तथा सेवा से विमुक्ति संबंधी प्रमाण पत्र / विरमित पत्र प्राप्त कर योगदान के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा आपकी नियुक्ति पात्रता रद्द कर दी जाएगी।

8- योगदान समर्पित करने के समय सभी मूल प्रमाण पत्र एवं पासपोर्ट साईज फोटो की अतिरिक्त प्रति (जैसा कि आपने आवेदन प्रपत्र एवं लिखित परीक्षा के प्रवेश पत्र में व्यवहार किया हो) साथ में लाना अनिवार्य है। साथ ही नियुक्ति पत्र के साथ संलग्न विहित प्रपत्र में **“सत्यापन प्रपत्र”** को पूर्ण रुप से भरकर लाना अनिवार्य है। सत्यापन पत्र नहीं रहने की स्थिति में योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9- आपके द्वारा समर्पित प्रमाण –पत्र / सत्यापन प्रपत्र / अभिलेख / घोषणा पत्र में अंकित कोई भी सूचना असत्य पाया जाता है अथवा आपके द्वारा कोई सूचना छिपाया जाता है, तो बिना किसी सूचना अथवा क्षतिपूर्ति के आपकी नियुक्ति समाप्त कर दी जाएगी।

10-अभ्यर्थी को भारतीय स्टैट बैंक के किसी भी शाखा में अपने नाम से खाता खोलकर उसमें एक माह के खर्च होने वाली अनुमानित(मेस एवं दैनिक खर्च) राशि जमाकर मूल पासबुक साथ लाना अनिवार्य है।

11-योगदान के समय शादी में किसी प्रकार का दहेज का लेन-देन नहीं किये जाने संबंधी घोषणा पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

12-नियुक्ति हेतु योगदान करने के लिए आने- जाने का किराया / खर्च इत्यादि का वहन स्वयं करना होगा, यह विभाग से देय नहीं होगा।

13-सेवा में नियुक्ति हेतु संबंधित अभ्यार्थियों के नाम के सामने अंकित प्रशिक्षण संस्थान यथा **-निदेशक, झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग (J.P.A Hazaribagh)/ पुलिस उप- महानिरीक्षक, जंगलवार फेयर स्कूल, नेतरहाट(J.W.F.S Neterhat) / पुलिस अधीक्षक, जे0ए0पी0टी0सी0, पदमा** (J.A.P.T.C Padma, Hazaribagh)के समक्ष उनके कार्यालय में सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति एवं निम्नांकित सामग्री के साथ दिनांक- **06.08.2018** को 10.30 पूर्वाह्न तक निश्चित रुप से उपस्थित होगें। योगदान करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के बाद उपस्थित होने पर योगदान स्वीकार नहीं किया जाएगा और न ही योगदान नहीं करने का कोई कारण स्वीकार्य होगा । जिन अभ्यार्थियों को डाक के माध्यम से दिनांक- 06.08.18 के पूर्व नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं होते है तो वे भी अपने नाम के सामने अंकित प्रशिक्षण संस्थान में दिनांक- 06.08.18 को उपस्थित होकर योगदान देंगें तथा संस्थान द्वारा उन्हें नियुक्ति पत्र की प्रति हस्तगत करा दी जाएगी ।

14-सभी अभ्यार्थियों के सुविधा हेतु यह आदेश समेकित रुप से निर्गत किया जा रहा है ।इस पत्र के साथ सफल अभ्यार्थियों की सूची को झारखण्ड पुलिस की वेबसाईट पर देखा जा सकता है ।

साथ में लाने वाले सामग्रियों की सूचीः- 1. बेडिंग, 2. चार डब्बे वाला टिफिन, 3. पानी का बोतल, 4. एक प्लेट, एक ग्लास, दो कटोरी, एक चम्मच, 5. मच्छरदानी ।

अनु**0-** अनुशंसित अभ्यार्थियों की सूची ।

आदेशानुसार

पुलिस उप-महानिरीक्षक (कार्मिक),
झारखण्ड, राँची ।

आ0 ह0 प्रपत्र सं0 101 अनुसूची 47,प्रपत्र सं0 192

सत्यापन - पत्र

(नियम 656 एवं 673)

(वर्ग तीन और चार में नियुक्त होने वालों द्वारा अपनी हस्तलिपि में भरा जायगा।)

1. नाम और धर्म
   (क्या अनुसूचित जाति /अनुसूचित जन-जाति के हैं)

2. जन्म तिथि । यह भी बताएं कि -
   (i) जन्म पत्री के अनुसार
   या
   (ii) मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण-प्रत्र के अनुसार

3. निवास स्थान (ग्राम,डाकघर,थाना और जिला लिखें)

4. विवाहित है या नहीं
   (i) यदि विवाहित हैं तो बच्चों की संख्या
   (ii) यदी एक से अधिक पत्नियां हों तो बताएं कि नियुक्ति के अयोग्य क्यों नहीं घोषित किया जाय ।

5. पिता का नाम,निवास और पूर्व एवं वर्तमान धंधा तथा औसत वार्षिक-आय

6. आवेदक के भाइयों,चाचाओं और श्वसुर का नाम

7. क्या आवेदक कभी दांडिक (फौजदारी) या सिविल (दीवानी) मामले में अभियुक्त रहा है अथवा कभी कारावास भुगत चुका है ? विवरण दें ।

8. क्या आवेदक कभी ऋणग्रस्त है और उसके विरुद्ध कोई दांडिक (फौजदारी) या सिविल (दीवानी) मामला विचारणधीन है ? विवरण दें ।

9. क्या आवेदक ने कभी टीका या पाछ ली है अथवा उसे कभी चेचक हुआ है,विवरण दें ।

10. सरकारी सेवा में स्थित संबंधियों के नाम और धारित पद (केवल पिता,दादा,चाचा,साला और उनके पुत्रों का उल्लेख किया जाय) ।

आ0ह0 प्रपत्र सं0 101 (क्रमांत)

11. क्या इसके पूर्व किसी पद पर नियुक्त था? यदि हाँ तो विवरण दें (यदि प्रमाण-पत्र हो तो उनकी प्रतियां संलग्न करें) ।

12. तीन व्यक्तियों के नाम जिन्हें आवेदक अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हो।

13. तीन निर्देशितियों के नाम और उनके पते

14. क्या आवेदक या उसकी पत्नी के अपने नाम से या संयुक्त रूप से या बेनामी अचल सम्पत्ति है? यदि हाँ, तो उसका लगभग मूल्यांक और वह सम्पत्ति कहाँ है? बताएं।

मैं शपथपूर्वक कहता हूँ कि जहाँ तक मेरा विश्वास है, उपर्युक्त सूचना सही है ।

आवेदक के बाएं अंगुठे का निशान

(आरक्षी अधीक्षक के सामने लगाया जायगा)

आवेदक का हस्ताक्षर

(आरक्षी अधीक्षक के समक्ष किया जायगा)

मेरे सामने हस्ताक्षर किया।

आरक्षी अधीक्षक

(सत्यापन अधिकारी की रिपोर्ट जो आरक्षी निरिक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो।)

1. रिपोर्ट में बताया जाय कि आवेदक की उपर्युक्त बातें सही है या नही अथवा उसके विरुद्ध कोई बात है।
2. सत्यापन रिपोर्ट एक माह के अन्दर आ जानी चाहिए ।